शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टॉफ कालिज

वार्षिक रिपोर्ट
1970-71 से 1974-75

17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9355
Date 5-12-96

Sagar Printers & Publishers New Delhi Phone 618484

सूची

प्रस्तावना	1
I. प्रशासन, निधि और वित्त	
उद्देश्य	7
परिषद्	8
कार्यकारी समिति	8
निधि और वित्त	8
संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	10
छात्रावास	10
स्टाफ	10
II. कार्य और क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन	
शिक्षा योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियाँ	13
राज्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा चलाई हुई शिक्षा परियोजनाओं का क्षेत्र वीक्षण	14
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी	15
महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भरती किये गये लोगों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी	16
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के साथ सहयोग	17
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये संस्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम	18
उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	19
हरियाणा में शिक्षा प्रशासन का आधुनिकीकरण	20
जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों का राष्ट्रीय सम्मेलन	22
जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये अध्ययन दल	23
शिक्षा प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण	25
अफ़गानिस्तान से आये शिक्षा अधिकारियों के लिये विशेष कार्यक्रम	28
एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया और विकास केन्द्र (ACIED) के साथ सहयोग	30
पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं	31
प्रकाशन	32

परिशिष्ट

(I)	परिषद् के सदस्यों की सूची	35
(II)	कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची	37
(III)	1971-75 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	38
(IV)	1971-75 वर्षों की अवधि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज द्वारा उत्तर	45
(V)	संकाय के सदस्य	47
(VI)	स्टाफ में परिवर्तन	50
(VIIअ)	शिक्षा योजना और प्रशासन पर तमिलनाडू राज्य सेमिनार में भाग लेने वालों की सूची	51
(VIIआ)	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों की सँगोष्ठी में भाग लेने वालों की सूची	55
VIIइ)	महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण सँगोष्ठी में भाग लेने वालों की सूची	58
(VIIई)	हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची	59
(VIIउ)	हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची	61
(VIII)	जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची	62
(IX)	जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये अध्ययन दल के सदस्यों की सूची	65
(X)	अफ़गानिस्तान से आये शिक्षा अधिकारियों के लिये विशेष अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची	67
(XI)	एशियाई संस्थान/स्टाफ कालिज के प्रकाशनों की अद्यतन सूची	68

प्रस्तावना

शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफ़ारिशों पर, जैसा कि योजना आयोग की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा योजना, प्रशासन और मूल्यांकन के कार्यकारी दल द्वारा दोहराया गया था, देश में शिक्षा योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने और अनुसंधान करने के लिए की गई थी।

हालांकि इसमें पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा पूंजी लगाई गई है फिर भी स्टाफ कालिज एक **स्वायत्त संस्था** है जो कि समितियों के पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अधीन पंजीकृत है। यह 31-12-1970 को पंजीकृत हुआ था, परन्तु इसने अपना कार्य 1-3-1971 को प्रारंभ किया जबकि एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान के भारतीय कार्यक्रम का समस्त कार्यरत स्टाफ कार्य सहित इसमें स्थानांतरित हो गया था। इस स्टाफ में 3 विशेषज्ञ, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और 3 अनुसंधान अधिकारी थे। इनमें से 2 अनुसंधान अधिकारियों को छोड़कर समस्त व्यक्ति स्टाफ कालिज में स्थानांतरण के पश्चात् अपने मूल कार्यालयों (Parent office) में वापस चले गए। इस प्रकार 1-3-1971 से 1-3-1973 की अवधि के दौरान (यूनेस्को और भारत सरकार के बीच 10 वर्षीय समझौते की समाप्ति पर, जब एशियाई संस्थान* ने कार्य करना बंद कर दिया और एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान का समस्त स्टाफ, स्टाफ कालिज द्वारा ले लिया गया था) स्टाफ कालिज के स्टाफ में केवल दो अनुसंधान अधिकारी थे। वे एशियाई संस्थान में कार्य करते रहे जहां उन्हें सहायक सेवाएं भी प्रदान की गई। शिक्षा योजना पर राज्य संगोष्ठियों और बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में सफल शिक्षा कार्यक्रमों की क्षेत्र-वीक्षण की रिपोर्टों के तैयार करने के अतिरिक्त, ये दोनों अनुसंधान अधिकारी एशियाई संस्थान के कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे।

इस रिपोर्ट में स्टाफ कालिज के प्रारंभ से 1974-75 तक के कार्य और क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन किया गया है। यह दो भागों में विभाजित है। भाग I में प्रशासन, निधि और वित्त की स्थिति के बारे में तथा भाग II में प्रारंभ से 1974-75 तक के क्रियाकलापों के बारे में संक्षिप्त सार दिया गया है। मुख्य क्रियाकलाप निम्न हैं :

---

*एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान 1962 में यूनेस्को और भारत सरकार के मध्य हुए 10 वर्षीय समझौते के अंतर्गत स्थापित किया गया था। दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संस्थान का विलय स्टाफ कालिज में कर दिया गया था जो कि अब स्टाफ़ कालिज का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग है।

I प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
(1) शिक्षा योजना और प्रशासन पर तमिलनाडु राज्य संगोष्ठी (कोयम्बतूर)।	25 मई से 29 मई, 1971	70
(2) आधुनिक प्रबंध और संस्थागत योजना पर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी।	21 जून से 26 जून, 1971	32
(3) महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए लोगों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी।	26 जून से 1 जुलाई, 1972	14
(4) उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	26 अगस्त से 30 अगस्त, 1974	41
(5) उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	2 सितंबर से 6 सितंबर, 1974	39
(6) हरियाणा में शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	21 जनवरी से 3 फरवरी, 1975	23
(7) हरियाणा में शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	12 फरवरी से 24 फरवरी, 1975	15
II स्थानबद्ध कार्यक्रम		
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए लोगों के लिए स्थानबद्ध कार्यक्रम।	5 अगस्त से 17 अगस्त, 1974	25

III संगोष्ठियां और सम्मेलन	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों का राष्ट्रीय सम्मेलन ।	28 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 1974	37

IV अनुसंधान और अध्ययन

(1) ज़िला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दल ।

(2) एशियाई संस्थान द्वारा संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों (1962-72) का पुनर्विलोकन ।

(3) शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए पूर्व अनुभव और भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित एशियाई संस्थान के भूतपूर्व छात्रों (Alumni) के साथ तत्काल सर्वेक्षण ।

(4) शिक्षा-प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण ।

V एशियाई देशों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

अफ़गानिस्तान से आए वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	11 नवम्बर, 1974 से 18 जनवरी, 1975	7

VI प्रकाशन

17 प्रकाशन निकाले गए ।

I

प्रशासन, निधि और वित्त

प्रशासन, निधि और वित्त

पृष्ठभूमि

देश में शैक्षणिक, प्रशासनिक और योजना सेवाओं को सुधारने और सुदृढ़ करने के विचार से शिक्षा आयोग (1964-66) ने शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना की सिफ़ारिश की। चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा योजना, प्रशासन और मूल्यांकन के कार्यकारी दल ने इस सिफ़ारिश को दोहराया और सुझाव दिया कि शुरू में, एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान में भारतीय स्कंध के विकास की संभावना पर खोज करनी चाहिए।

भारत सरकार ने इन सिफ़ारिशों को मान लिया और एशियाई संस्थान में भारतीय कार्य्यक्रम की पहल की। भारतीय कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई दो मुख्य परियोजनाएं निम्न थीं :

(अ) शिक्षा योजना और प्रशासन* पर 14 राज्य स्तर की संगोष्ठियों की शृंखला; और

(आ) देश के विभिन्न भागों में, खास-खास शैक्षणिक संस्थाओं और परियोजनाओं में केन्द्र और राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र-वीक्षण की शृंखला**।

शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ़ कालिज औपचारिक रूप से सम्मितियों के पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में 31-12-1970 को पंजीकृत हुआ था।

उद्देश्य

स्टाफ़ कालिज के उद्देश्य निम्न हैं :

(अ) केन्द्र, राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व-सेवा और अंत:सेवा प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्य गोष्ठी, बैठकें, सेमिनार और विवरण-सत्र आदि आयोजित करना;

(आ) शिक्षा-योजना और प्रबंध से संबंधित प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(इ) विश्वविद्यालय और कालिजों के प्रशासकों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करना;

(ई) शिक्षा-योजना और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर, जिसमें भारत के

---

*शिक्षा योजना और प्रशासन पर समस्त 14 राज्यों की संगोष्ठियों की रिपोर्टें अलग-अलग प्रकाशित हो चुकी हैं।

**इन क्षेत्र-वीक्षणों की रिपोर्ट 'भारत में शैक्षिक नवीन प्रक्रियाएँ—कुछ प्रयोग' शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है।

विभिन्न राज्यों और विश्व के अन्य देशों में योजना-तकनीकों और प्रशासनिक कार्यविधियों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, किए जाने वाले अनुसंधान-कार्य को हाथ में लेना, उनको सहायता देना और उनका संवर्धन तथा समन्वय करना;

(उ) शिक्षा-योजना और प्रशासन के कार्य में व्यस्त एजेंसियों, संस्थाओं और कार्मिकों को शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन देना;

(ऊ) राज्य सरकारों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के अनुरोध पर उन्हें परामर्श-सेवा उपलब्ध करवाना;

(ए) शिक्षा-योजना और प्रशासन सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार के विचारों एवं सूचनाओं के वितरण-केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(ऐ) इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु शोध-पत्रों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को तैयार करना, उनका मुद्रण तथा प्रकाशन करना, और विशेष रूप से, शिक्षा-योजना और प्रशासन पर पत्रिका निकालना;

(ओ) इन उद्देश्यों के संवर्धन के लिए, भारत और भारत के बाहर अन्य एजेंसियों, संस्थाओं और संगठनों, जिसमें विश्वविद्यालय, प्रबंध और प्रशासन संस्थान और अन्य सम्बद्ध संस्थाएं शामिल हैं, के साथ जिस प्रकार भी उचित समझा जाए, सहयोग करना;

(औ) स्टाफ कालिज के प्रवर्धन के लिए अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना; और

(अं) अन्य देशों की, विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र के देशों की, उनके अनुरोध पर, शिक्षा-योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ देना और इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहयोग करना।

परिषद्

स्टाफ कालिज के समस्त प्राधिकार परिषद् में निहित है, जिसमें 23 सदस्य हैं और जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मंत्री करता है। स्टाफ कालिज का निदेशक पदेन सदस्य-सचिव है। परिषद् के सदस्यों की सूची परिशिष्ट I में दी गई है।

कार्यकारी समिति

स्टाफ कालिज का प्रशासन आठ-सदस्यों की कार्यकारी समिति द्वारा संचालित होता है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मंत्री करता है। स्टाफ कालिज का निदेशक इसका सदस्य-सचिव है। कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

विचाराधीन अवधि के दौरान, कार्यकारी समिति की दो बैठकें 10-8-1972 और 21-12-1976 को स्टाफ कालिज द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों और विभिन्न प्रशासनिक मामलों के विचारार्थ हुई थीं।

निधि और वित्त

स्टाफ कालिज का पूर्णरूपेण वित्तीयन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार करता है। स्टाफ कालिज के प्रारंभ से ही आय और भुगतान लेखे का एक संक्षिप्त सार अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

आय और भुगतान लेखा

(रुपयों में)

वर्ष	आय		जोड़	भुगतान		जोड़
	प्लान	ग़ैर-प्लान		प्लान	ग़ैर-प्लान	
1970-71*	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं
1971-72	1,30,000.00	—	1,30,000.00	63,181.91	—	63,181.91
1972-73	1,66,914.09	—	1,66,914.09	88,428.71	—	88,428.71
1973-74	6,78,581.38	—	6,78,581.38	6,85,827.44	—	6,85,827.44
1974-75	3,50,000.00	2,40,000.00	5,90,000.00	2,70,615.16	2,68,336.24	5,38,951.40

*स्टाफ कालिज 31-12-1970 को पंजीकृत हुआ था लेकिन इसने 1-3-1971 से कार्य करना प्रारंभ किया।

स्टाफ कालिज के 1-4-1970 से 31-3-1975 तक की अवधि के लेखों की लेखा-परीक्षा 13-7-76 से 17-8-76 तक महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व से आई विशेष लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा की गई थी। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा उसके उत्तरों की एक प्रति परिशिष्ट III तथा IV में क्रमशः दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रादेशिक (country) कार्यक्रम के अंतर्गत सन् 1973 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से 4 विशेषज्ञों, 8 अध्येता-वृत्तियों, पुस्तकों और साज-सामान के लिए 1,25,000 डालर की राशि का प्रस्ताव किया गया था। यह निर्णय किया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता केवल पुस्तकों और साज-सामान के लिए ही होगी।

छात्रावास

स्टाफ कालिज का अपना छात्रावास है जिसमें पूर्णरूपेण सज्जित गुसल लगे 48 एकल कमरे हैं। स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः आवासी हैं।

स्टाफ

जैसा कि उपर्युक्त अवलोकन से स्पष्ट है, एशियाई संस्थान के भारतीय कार्यक्रम में कार्यरत स्टाफ 1-3-1971 को स्टाफ कालिज में स्थानान्तरित हुआ था। स्टाफ कालिज में 1-3-1973 को एशियाई संस्थान का विलय हो जाने पर, स्टाफ कालिज ने संस्थान का समस्त कार्यरत स्टाफ अपने यहाँ ले लिया था। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की संकाय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट V दी गई है। 1-3-1971 से 31-3-1975 की अवधि के दौरान स्टाफ में हुए परिवर्तन परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

II

कार्य और क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन

(1970-71 से 1974-75)

शिक्षा-योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियां

एशियाई संस्थान के भारतीय कार्यक्रम के अधीन बहुत-सी परियोजनाओं में से एक परियोजना शिक्षा-योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियां संगठित करनी थी। इन संगोष्ठियों में विचाराधीन मुख्य विषय निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

(I) चौथी पंचवर्षीय योजना में संबंधित राज्य का शैक्षणिक विकास,

(II) राज्य में शिक्षा प्रशासन की समस्या और पैटर्न,

(III) जिला शिक्षा योजना,

(IV) संस्थागत योजना,

(V) जिला स्तर पर शिक्षा सुधार के कार्यक्रम, और

(VI) स्कूल सुधार परियोजनाएं और समुदाय समर्थन।

संगोष्ठियों की एक शृंखला 14 राज्यों में संगठित की गई थी। इनमें से 13 एशियाई संस्थान के तत्वावधान में यथा—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में संगठित की गई थीं। एक संगोष्ठी स्टाफ कालिज के तत्वावधान में कोयम्बतूर, तमिलनाडु में 25 मई से 29 मई, 1971 तक हुई थी जिसमें राज्य सरकार के 70 अधिकारियों ने भाग लिया। [परिशिष्ट VII (अ)]

एशियाई संस्थान के अधीन तीन राज्य संगोष्ठियों, यथा—गुजरात, उड़ीसा और मैसूर की रिपोर्टें प्रकाशित की गई थीं। शेष संगोष्ठियों की रिपोर्टें 1971-73 के दौरान स्टाफ कालिज द्वारा प्रकाशित की गई हैं।

राज्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा चुनी हुई शिक्षा परियोजनाओं का क्षेत्र-वीक्षण

पृष्ठभूमि

मई 1969 में राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन ने अन्य राज्यों में, जहाँ शिक्षा विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ चल रही थीं, राज्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा वहाँ अल्पवीक्षण कार्यक्रम की सिफ़ारिश की थी । शिक्षा मंत्रालय ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया और एशियाई संस्थान से अनुरोध किया कि वे इस प्रकार के वीक्षणों को अपने भारतीय कार्यक्रम का भाग मानकर संगठित करें ।

परियोजना

सफल शिक्षा परियोजनाओं के अध्ययन के लिए बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में सात क्षेत्र-वीक्षण संगठित किए गए थे । 25 राज्यों/संघ क्षेत्रों, योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कुल 115 अधिकारियों ने 58 परियोजनाओं का निरीक्षण और अध्ययन किया । इन परियोजनाओं में शैक्षिक क्रियाकलापों को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया गया था, यथा—उत्कर्ष की खोज और प्रतिभा का परिपोषण; पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण, स्कूल सुधार के लिए समुदाय संसाधनों का संग्रहण, स्कूल को समुदाय विकास का केन्द्र बनाना, सामाजिक शिक्षा, कार्यानुभव और शिक्षा का व्यावसायीकरण, परीक्षा-सुधार, अध्यापकों की अंत:सेवा शिक्षा, अध्यापकों का कल्याण, संस्थागत योजना और स्कूल प्रांगण, शिक्षा प्रशासन का पुनर्गठन आदि ।

समेकित रिपोर्ट

सभी क्षेत्र-वीक्षणों की एक समेकित रिपोर्ट 'भारत में शैक्षिक नवीन प्रक्रियाएँ—कुछ प्रयोग' शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है ।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी
(नई दिल्ली : 21 जून से 26 जून, 1971 तक)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने 'आधुनिक प्रबंध और संस्थागत योजना' पर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक संगोष्ठी नई दिल्ली में 21 जून से 26 जून, 1971 तक आयोजित की थी।

समस्त देश में से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अखिल भारतीय पाठ्यविवरण को अपनाने वाले माध्यमिक स्कूलों के 32 प्रधानाचार्यों ने, जिनमें से 8 प्रधानाचार्य केन्द्रीय विद्यालयों के थे, इस संगोष्ठी में भाग लिया था। [परिशिष्ट VII (आ)]

दस विशिष्ट शिक्षाशास्त्रियों और प्रबंधन विशेषज्ञों के भाग लेने से संगोष्ठी लाभान्वित हुई थी। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में इन्होंने ज्ञान-साधन व्यक्ति के रूप में काम किया, लेख प्रस्तुत किए और इसमें हुए विचार-विमर्श का मार्गदर्शन किया।

संगोष्ठी में मुख्य रूप से निम्नलिखित शिक्षा क्षेत्रों पर विचार किया गया : (I) माध्यमिक शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां; (II) संस्थागत योजना; और (III) आधुनिक प्रबंधन की संकल्पना और तकनीक।

महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए लोगों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी

(नई दिल्ली : 26 जून से 1 जुलाई, 1972 तक)

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने एशियाई शिक्षा-योजना और प्रशासन संस्थान के सहयोग से महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए लोगों के लिए उनके परिवीक्षा प्रशिक्षण के अधीन एक-सप्ताह की प्रशिक्षण संगोष्ठी संगठित की। संगोष्ठी महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर नई दिल्ली में 26 जून से 1 जुलाई, 1972 तक आयोजित की गई थी।

मूल-विषय

संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई : भारत में समकालीन शिक्षा स्थिति का सर्वेक्षण; ज़िला शिक्षा अधिकारियों के बदलते हुए दायित्व और कार्य; आधुनिक प्रबंधन की संकल्पना और तकनीक; प्रबंधन प्रक्रिया— संगठन, संचार, अभिप्रेरण, नियंत्रण और प्रति-पुष्टि; प्रबंधन के साधन—कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनर्विलोकन तकनीक (PERT) और योजना कार्य-प्रक्रमण तथा बजट पद्धति (PPBS); शिक्षा योजना की संकल्पना और तकनीक; ज़िला शिक्षा योजना; संस्थागत योजना; संस्थागत और कार्मिक प्रबंधन; शिक्षा योजना के लिए आँकड़े और शिक्षा योजना के परिमाणात्मक पक्षों, यथा— अपव्यय का विश्लेषण, नामांकन का प्रक्षेपण, शिक्षकों का आवंटन, इकाई लागतें आदि पर एक लघु व्यावहारिक अभ्यास।

भाग लेने वाले

महाराष्ट्र शिक्षा सेवा (वर्ग I और वर्ग II) में सीधे भर्ती किए गए 14 लोगों के दल ने श्री डब्ल्यू० एन० दण्डेकर, उपनिदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, पूना, महाराष्ट्र के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। [परिशिष्ट VII (इ)]

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के साथ सहयोग

एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुरोध पर प्रत्येक वर्ष सांख्यिकीय अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधीन चुने हुए विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण के रूप में उनके प्रशिक्षणार्थियों के लिए शैक्षिक सांख्यिकी में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा था। 1972-73 से यह कार्यक्रम स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की जरूरतों और उनकी वैयक्तिक अभिरुचियों के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से साँख्यिकीय आंकड़ों पर जोर दिया गया है जिनकी आवश्यकता लघु संगणात्मक अभ्यास करने के अलावा शिक्षा योजना और प्रशासन, शिक्षा-वित्त, गतिरोध और अपव्यय, लागत हित-लाभ विश्लेषण, शैक्षिक सर्वेक्षणों के संगठन आदि में पड़ती है। प्रशिक्षणार्थियों का नवीनतम तकनीकों, जैसे कि संगठन और अनुसंधान/गणितीय मॉडल से भी परिचय कराया जाता है ताकि इन विधियों को शिक्षा योजना और प्रशासन के अनुकूल बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर स्टाफ कालिज ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अगस्त से 17 अगस्त, 1974 तक आयोजित किया था।

शिक्षा योजना की मूल संकल्पना और तकनीक, प्रशासन और प्रबंधन, संस्थागत योजना, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, संस्थागत और कार्मिक प्रबंधन, निर्देशित पाठ्य-सामग्री आदि विषयों पर अनुशिक्षण और चुने हुए संस्थानों, जैसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और मनुष्य-शक्ति अनुसंधान संस्था में जाना, इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व थे।

उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और उसके सहयोग से उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) में शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण पर ज़िला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक-एक सप्ताह के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित किए। प्रथम पाठ्यक्रम 26 अगस्त से 30 अगस्त, 1974 तक हुआ था जिसमें 41 अधिकारियों ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति अन्य 39 अधिकारियों के लिए 2 सितंबर से 6 सितंबर, 1974 तक की गई थी।

मुख्य उद्देश्य

पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे—भाग लेने वालों को राज्य की शिक्षा की पांचवीं योजना को भली प्रकार समझने में सहायता करना; विशेष रूप से राज्य की पांचवीं योजना के कार्यान्वियन के संदर्भ में उनकी प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं पर बिचार करना; और उन्हें आधुनिक प्रबंधन तकनीकों से तथा शिक्षा प्रशासन में इन तकनीकों के अनुप्रयोग से अवगत कराना।

मूल-विषय

कुछेक प्रमुख मूल-बिषय जिन पर विचार-विमर्श हुआ वे निम्न हैं : राज्य की शिक्षा की पांचवीं योजना की विशिष्टताएं, योजना बनाना और उसका कार्यान्वियन; औपचारिक एवं ग़ैर-औपचारिक शिक्षा, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली उपागम और समस्या-समाधान तकनीक, कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनर्विलोकन तकनीक (PERT), संचार और मानवीय संबंध, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, शिक्षा और मनुष्य-शक्ति योजना, वित्तीय प्रबंधन, और लागत हित-लाभ विश्लेषण का शिक्षा में अनुप्रयोग।

हरियाणा में शिक्षा प्रशासन का आधुनिकीकरण
(नई दिल्ली : 21 जनवरी से 24 फरवरी, 1975)

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने हरियाणा सरकार के अनुरोध पर और उसके सहयोग से हरियाणा के ज़िला और अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए दो-दो सप्ताह के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पहला पाठ्यक्रम 21 जनवरी से 3 फरवरी, 1975 तक और दूसरा 12 फरवरी से 24 फरवरी, 1975 तक चला। [परिशिष्ट VII (ई) और VII (उ)]

उद्देश्य

पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :

(अ) भाग लेने वालों को शिक्षा योजना की कुछेक मूलभूत संकल्पनाओं और विशेष रूप से हरियाणा के संदर्भ में शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण से अवगत कराना;

(आ) भाग लेने वालों को देश की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में राज्य में शिक्षा की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को भली प्रकार समझने में सहायता करना;

(इ) भाग लेने वालों को भारत में और विदेशों में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास से अवगत कराना; और

(ई) भाग लेने वालों को हरियाणा सरकार की सेवा और वित्त नियमावली से सुपरिचित कराना।

भाग लेने वाले

दो पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 38 अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें से 23 ने पहले में और 15 ने दूसरे में। इनमें 7 ज़िला शिक्षा अधिकारी, 19 उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी, 9 उप ज़िला शिक्षा अधिकारी और 2 सहायक निदेशक थे।

प्रमुख मूल-विषय

दोनों पाठ्यक्रमों में एक समान मूल-विषय थे। दोनों पाठ्यक्रमों के मुख्य मूल-विषय निम्न थे :

(I) भारत और विदेशों में शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन;
(II) शिक्षा की पंचवर्षीय योजना—राष्ट्रीय और राज्य की;

(III) संस्थागत और ज़िला स्तर योजना;

(IV) योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन;

(V) शिक्षा प्रशासन में आधुनिक प्रवृत्तियाँ;

(VI) शिक्षा की ग़ैर-औपचारिक प्रणाली;

(VII) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण और 10+2+3 संरचना।

(VIII) कार्मिक और वित्तीय प्रबंधन;

(IX) स्कूल सुधार, निरीक्षण और पर्यवेक्षण; और

(X) ज़िला शिक्षा अधिकारी के बदलते हुए दायित्व और उसके पुनरभिविन्यास का प्रश्न।

पाठ्यक्रम विषय-सूची

(I) सामयिक अभिरुचि के मूल-विषयों पर 49 व्याख्यान-विचार-विमर्श;
(II) तीन पैनल परिचर्चा : (i) हरियाणा में शिक्षा प्रशासन का आधुनिकीकरण, (II) निरीक्षण और पर्यवेक्षण; और (iii) ज़िला शिक्षा अधिकारियों के बदलते हुए दायित्व और उनका अंत:सेवा प्रशिक्षण।

(III) क्षेत्र-वीक्षण : (i) दूरदर्शन केन्द्र, (ii) योजना आयोग (संगणक केन्द्र), (iii) बाल भारती वायु सेना स्कूल, (iv) संसद भवन, और चुने हुए शिक्षा संस्थानों में क्षेत्र-वीक्षण।

जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों का राष्ट्रीय सम्मेलन
(नई दिल्ली : 28 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 1974 तक)

विश्व जनसंख्या वर्ष के अवसर पर आयोजित किए गए समारोह में स्टाफ कालिज ने एशिया में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के सहयोग से जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों का चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 अक्तूबर, 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक संगठित किया था। दिल्ली में स्थित विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों से 37 विशेषज्ञों ने, जो कि विभिन्न विषयों यथा—शिक्षा, जनांकिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भैषज विज्ञान, जन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि से संबंधित थे, इस सम्मेलन में भाग लिया। (परिशिष्ट VIII)

उद्देश्य

सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य थे : (I) जनसंख्या गतिकी और शिक्षा के आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं की जाँच करना, (II) इसी क्षेत्र में और आगे जाँच और अनुसंधान करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करके रेखांकित करना, (III) शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के लिए ऐसी ठोस सिफ़ारिशें करना ताकि वे जनसंख्या गतिकी और शिक्षा के आपसी संबंधों को भली प्रकार समझने में समर्थ हो सकें।

मूल-विषय

सम्मेलन में जिन मुख्य मूल-विषयों पर विचार किया गया वे जनगणना, साक्षरता, शैक्षिक लब्धि, स्थानांतरण, महिला शिक्षा और परिवार नियोजन, बाल परिचर्या, जनसंख्या शिक्षा, ग़ैर-औपचारिक शिक्षा, शिक्षा प्रशासकों, चिकित्सा कार्मिकों और अनुसंधान के प्रशिक्षण से संबंधित थे। सम्मेलन में विभिन्न मूल-विषयों से संबंधित 14 शोध-पत्रों पर विचार किया गया था। इसके अलावा 9 लेखों का सैट भी भाग लेने वालों में आधार सामग्री के रूप में परिचालित किया गया था। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित चुने हुए साहित्य और दृश्य सामग्री की एक लघु प्रदर्शनी भी इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सगठनों यथा—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, खाद्य कृषि संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट 'बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के अवसरों की खोज' (ग्रोइंग मल्टीट्यूड्स एंड द सर्च फार एजूकेशनल अपारचुनिटी) शीर्षक से अलग से प्रकाशित की गई है। (अनुलिखित)

जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दल

भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई संस्थान द्वारा 11-13 फरवरी, 1970 तक आयोजित ज़िला शिक्षा अधिकारियों के दायित्व, कार्य, भरती और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रो० एम० वी० माथुर की अध्यक्षता में 23 अप्रैल, 1970 को ज़िला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया। अध्ययन दल में 15 सदस्य थे, जिनमें राज्य शिक्षा सचिव, शिक्षा/जन शिक्षा निदेशक और लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाशास्त्री और प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल थे। (परिशिष्ट IX)

विचारार्थ विषय

अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्न थे :—

1. ज़िला शिक्षा अधिकारियों के दीर्घ परास वृत्ति योजना और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना।

2. भर्ती नीति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रवेशकों, यथा—सीधे भर्ती व्यक्तियों, पार्श्विक प्रवेशकों, पदोन्नत व्यक्तियों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमों के स्वरूप और अवधि का निर्धारण करना।

3. इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों का उल्लेख करना और इस प्रकार के प्रशिक्षण के सर्वाधिक उपयुक्त विषयवस्तु और उसकी प्रणालियों की सिफ़ारिश करना।

4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को केन्द्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और विभागीय प्रबंधों की सिफ़ारिश करना।

5. पाठ्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने और सारे देश के ज़िला शिक्षा अधिकारियों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली का सुझाव देना।

मत सर्वेक्षण

अध्ययन दल ने ज़िला शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को स्तरबद्ध नमूना आधार पर वास्तविक रूप से जानने के लिए एक शीघ्र मत सर्वेक्षण करने का निश्चय किया। नमूने में प्रत्येक राज्य के चार अधिकारी यथा—एक, तीन-चार वर्ष का अनुभव रखने वाला ज़िला शिक्षा अधिकारी; एक, तीन-चार साल का अनुभव रखने वाला

शिक्षा उपनिदेशक; एक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक; और एक ऐसा स्कूल उपनिरीक्षक जो एक वर्ष के भीतर ही ज़िला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होनेवाला हो, शामिल थे। अध्ययन दल ने कुछेक प्रबंधक विशेषज्ञों और लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाशास्त्रियों और प्रशासकों से भी राय और सलाह लेने का निर्णय किया।

प्रश्नावली

तदनुसार एक प्रश्नावली जारी की गई थी। 17 राज्यों के 64 अधिकारियों से इसके उत्तर प्राप्त हुए थे। प्रश्नावली पर प्राप्त उत्तरों के आधार पर एक विस्तृत नोट तैयार किया गया और यह निश्चय किया गया कि 18, 19, 21 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में इस प्रयोजन के लिए आमंत्रित किए गए विभिन्न प्रदेशों के उत्तरकर्ताओं से इस नोट पर विचार-विमर्श किया जाए। इस विचार-विमर्श में 15 राज्यों के 41 अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों, ज़िला शिक्षा अधिकारियों और संभाव्य ज़िला शिक्षा अधिकारियों और ऐसे अन्य अधिकारी जो प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएँ उन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन के बारे में बहुत-सी व्यापक सिफ़ारिशें की हैं। साथ ही इन पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय-वस्तु, अवधि और संस्थागत व्यवस्था, और संबंधित अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और दीर्घकालीन वृत्ति प्रबंधन की नीतियों और कार्य विधियों के बारे में भी सिफ़ारिशें की हैं।

शिक्षा प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण

तीसरे शिक्षा सर्वेक्षण के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों में शिक्षा प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का निश्चय किया गया था। इस प्रकार का सर्वेक्षण देश में पहली बार किया जा रहा था और इस सर्वेक्षण को संगठित करने का कार्य-भार स्टाफ कालिज को सौंपा गया था।

उद्देश्य

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर वर्तमान शिक्षा प्रशासन की स्थिति को ज्ञात करना और वह ज्ञान प्रदान करना है जो देश में शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने में सहायक हो। सर्वेक्षण में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रशासन के लिए सरकारी तंत्र के वर्तमान ढांचे और कार्य-विधि का वर्णन करने का प्रयास किया गया है और इसमें आँकड़ों का विश्लेषण, योजना और उसके कार्यान्वयन के अंतर को दूर करने की दृष्टि से किया गया है।

कार्य-क्षेत्र

सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए यूनेस्को की शिक्षा की परिभाषा को ध्यान में रखा गया है, यथा-"शिक्षा संगठित और सतत शिक्षण है जिसका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान, कौशल और बोध के संयोग को संचारित करना है।" सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर कालिज तक की शिक्षा की समस्त अवस्थाओं के लिए सरकारी ढांचे का, सभी प्रकार के शिक्षण का, यथा—औपचारिक तथा ग़ैर-औपचारिक, पूर्णकालिक तथा अंशकालिक और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और ग़ैर-सरकारी शिक्षा के क्रियाकलापों का समावेश है।

शिक्षा प्रशासन—पद्धति के रूप में

कुछ कार्यों का निष्पादन और कुछेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रशासन को एक पद्धति मानकर सर्वेक्षण किया जाता है। इसी प्रसंग में सचिवालय, निदेशालय, क्षेत्रीय/मंडलीय (जहाँ भी ये विद्यमान हैं) ज़िला और ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक ढाँचे के संक्षिप्त अध्ययन का कार्य और योजना, संगठन, वित्तीयन, निर्देशन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन जैसे कार्यों को हाथ में लिया गया है। प्रबंधन उपागम का विस्तार करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, पुनर्विलोकन, प्रतिपुष्टि और नवीनप्रक्रिया जैसे तत्वों का, जहाँ तक हो सका है, समय और संसाधनों की सीमाओं के अंदर रहते हुए अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

कार्य-पद्धति

सर्वेक्षण में जिन मुख्यक्षेत्रों का समावेश किया गया उनका निश्चय सलाहकार समिति की सिफ़ारिशों पर किया गया था। उक्त समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पांच प्रश्नावलियों का एक सैट विभिन्न स्तरों पर आँकड़े संकलित करने के लिए तैयार किया गया था :

एस ए-1	सचिवालय स्तर
डी ए-2	निदेशालय स्तर
आर ए-3	क्षेत्रीय/मंडलीय स्तर
जैड ए-4	ज़िला स्तर (केवल बुनियादी आँकड़े)
ज़ैड ए-5	ज़िला स्तर (अधिक विस्तृत जानकारी के लिए 10 प्रतिशत प्रतिनिधि ज़िला नमूने से)

इन पाँच प्रश्नावलियों के अलावा केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन के संबंध में आँकड़े एकत्र करने के लिए एक अलग से प्रश्नावली तैयार की गई थी।

इसके अतिरिक्त वृत्ति/व्यवसाय योजना को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए वृत्तिक सूचना फार्म का विकास भी किया गया था।

राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग

सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह शुरू से ही योजना[illegible] था और इसमें राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के साथ घनिष्ठ और सक्रिय सहयोग था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रश्नावली प्रारूप विस्तृत रूप से परिचालित किया गया था और इसको अंतिम रूप उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखकर दिया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य के रिपोर्ट-प्रारूप को उनकी संबंधित सरकार या प्रशासन को, यथा प्रकरण, पुनरीक्षण के लिए भेजा गया था और उस पर यदि कोई टिप्पणी या सुझाव उनसे प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उसे अंतिम रूप दिया गया था।

रिपोर्टें

रिपोर्टें मुख्य रूप से प्रश्नावलियों द्वारा प्राप्त सामग्री पर आधारित हैं। केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त एक अखिल भारतीय रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर जिन कठिनाइयों को सामना करना

पड़ा, उनमें से कुछेक कठिनाइयों को भी इसमें बताया गया है। शिक्षा-प्रशासन में कुछेक उन समस्याओं और विवादों को भी सुझाने का प्रयत्न किया गया हैं जिनकी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने साधनों के आधार पर उनका उपयुक्त हल खोज सकें।

प्रगति

शिक्षा सर्वेक्षण से संबंधित कार्य का सूत्रपात 1974 के प्रारंभ में किया गया था। 1974-75 के दौरान मुख्य कार्य प्रश्नावलियों और वृत्तिक सूचना फार्म (Career Information Blank) तैयार करने और उन्हे अंतिम रूप देने का था। प्रश्नावलियाँ उत्तर सहित 1975 के प्रारंभ में आनी शुरू हुई थीं।

अफगानिस्तान से आए शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम
(नई दिल्ली : 11 नवंबर, 1974 से जनवरी 18, 1975 तक)

भारत सरकार के अनुरोध पर स्टाफ कालेज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रायोजित अफ़गानिस्तान के सात शिक्षा अधिकारियों के लिए 11 नवंबर, 1974 से 18 जनवरी, 1975 तक एक विशेष अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें भाग लेने वालों के नाम और पते परिशिष्ट X में दिए गए हैं।

पाठ्यक्रम विषय-वस्तु

भाग लेने वालों के अंग्रेजी के सीमित ज्ञान को ध्यान में रखकर और उनके साथ परामर्श करके पाठ्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया गया था ताकि उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पाठ्यक्रम के मूल तत्व निम्न थे :

(क) सैद्धांतिक

(I) व्याख्यान-परिचर्चा

अफ़गानिस्तान की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना और प्रशासन के उपयुक्त मूल-विषयों पर 16 संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं।

(II) अनुशिक्षण

अनुशिक्षण में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया था :

(अ) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाना।

(आ) शिक्षा प्रबंधन में 'कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन तकनीक' (PERT) को साधन के रूप में प्रयोग करना; और

(इ) शिक्षक प्रबंधन।

(III) निर्देशित पाठ्य सामग्री

1. संस्थागत योजना—श्री जे० पी० नाइक
2. ज़िला योजना—श्री जे० पी० नाइक

3. शिक्षा में नवीन प्रक्रिया—राष्ट्रीय स्टाफ़ कालिज
4. शिक्षा का प्रशासन और वित्तीयन—राष्ट्रीय स्टाफ कालिज
5. शिक्षा योजना की लागत—श्री जे० वैज़ी, आई० आइ० ई० पी०, पेरिस।
6. शिक्षा योजना का आर्थिक योजना के साथ एकीकरण—श्री पाइनेंट, आई० आई० ई० पी०, पेरिस।
7. शिक्षा में लागत-हितलाभ विश्लेषण—श्री एम० वुडहॉल
8. प्रबंधन पर व्याख्यान—डा० ए० डब्ल्यू० पी० गुरगे।
9. शिक्षा प्रशासन में आधुनिक प्रबंधन तकनीक—राष्ट्रीय स्टाफ कालिज

(ख) व्यावहारिक

1. ऐसे लघु अभिकलनी अभ्यास जिसमें कि भाग लेने वाले शिक्षा योजना के लिए आवश्यक नमूना परिकलन करने के योग्य हो सकें;
2. हस्तचालित परिकलन यंत्रों का उपयोग;
3. भाग लेने वालों का अंग्रेजी बोलने और लिखने में सुधार करने के लिए एक विशेष लघु भाषा प्रयोगशाला पाठ्यक्रम का आयोजन (यह आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में किया गया)।

क्षेत्र वीक्षण

कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग दिल्ली और दिल्ली के आसपास खास-खास शैक्षिक सस्थानों में क्षेत्रवीक्षण करना था। संस्थानों का चयन इस आधार पर किया गया था कि भाग लेने वाले, विशेष रुचि और महत्व के विभिन्न सस्थानों में जाकर, प्रत्यक्ष रुप से उनका अध्ययन कर सकें। उन्होंने सोलह संस्थानों में इस प्रकार के क्षेत्र बीक्षण किए।

राज्यों में शिक्षा पद्धति

चूंकि प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्रणाली में कुछ न कुछ भिन्नता है इसलिए भाग लेने वालों को विभिन्न राज्यों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के लिए बंबई, मद्रास और कलकत्ता ले जाया गया।

एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया और विकास केन्द्र (ACEID) के साथ सहयोग

स्टाफ़ कालिज को एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया और विकास केन्द्र के 'सह केन्द्र' के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान स्टाफ कालिज ने प्रारंभ से ही एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया और विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित दो कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया विकास केन्द्र के साथ सहयोग किया :

(अ) योजना नवीन प्रक्रिया कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने में भाग लेना।

श्री वेदप्रकाश तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ने 26 अगस्त से 4 अक्तूबर, 1974 तक एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया और विकास केन्द्र, बैंकाक और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान, टोकियो द्वारा आयोजित शिक्षा नवीन प्रक्रिया पर क्षेत्रीय क्षेत्र संक्रिया सेमिनार (FOS) में भाग लिया।

(आ) अन्य सहकेन्द्रों के साथ सहयोग

स्टाफ कालिज ने सहकेन्द्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के साथ सहयोग करके शिक्षा नवीन प्रक्रिया के प्रबंधन पर एक तकनीकी कार्यकारी दल की बैठक का आयोजन किया। श्री वेदप्रकाश, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, स्टाफ कालिज ने 17 मार्च से 29 मार्च, 1975 तक इस कार्यकारी दल की बैठक में भाग लिया।

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज शिक्षा योजना, प्रशासन और संबंधित विषयों में एक सुसंचित पुस्तकालय चला रहा है। पुस्तकालय में लगभग चौदह हजार पुस्तकें और अन्य प्रकाशन है। इसमें शिक्षा, अर्थशास्त्र, शिक्षा-समाजशास्त्र और शिक्षा नवीन प्रक्रिया जैसे विषयों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, यथा---संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), यूनेस्को (UNESCO), आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन (OECD), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), यूनीसेफ (UNICEF) आदि द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों का मूल्यवान प्रचुर भंडार है। आजकल पुस्तकालय विभिन्न राज्य सरकारों से शिक्षा योजना और प्रशासन से संबंधित राज्य रिपोर्टें और अन्य प्रलेख एकत्र करने के कार्य में जुटा हुआ है।

पुस्तकालय शिक्षा योजना, प्रशासन, प्रबंधन और विकास और संबंधित विषयों की लगभग 150 पत्रिकाएँ मंगाता है। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ तक कि अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक सत्र पुस्तकालय के लिए आरक्षित होता है ताकि भाग लेने वाले शिक्षा योजना, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में अब तक प्रकाशित विपुल साहित्य से परिचित हो सकें।

पुस्तकालय, प्रत्येक तिमाही में आए नए प्रकाशनों की एक सूची भी निकालता है।

पुस्तकालय में 1973-74 (जबकि इसको स्टाफ कालिज ने ले लिया था) में ग्रंथों की संख्या में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :

1973-74	675
1974-75	475

इनमें 1973-74 के दौरान ब्रिटिश कौंसिल द्वारा उपहार स्वरूप दी गई दो सौ पुस्तकें शामिल हैं।

प्रकाशन

पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान स्टाफ कालिज द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं :

(1-11) शिक्षा योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियों की रिपोर्टें, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल (1972-74)।

(12) जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अध्ययन दल की रिपोर्ट (1972)।

(13) भारत में शैक्षिक नवीन प्रक्रियाएँ—कुछ प्रयोग (1974)।

(14) भारत में शिक्षा का प्रशासन और वित्तीयन—पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में (1974)।

(15) एशियाई संस्थान द्वारा संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन—1962-72 (1974) (अनुलिखित)।

(16) अफ़गानिस्तान से आए शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष अध्ययन कार्यक्रम की रिपोर्ट (1975) (अनुलिखित)।

(17) हरियाणा में शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण से संबंधित राज्य शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट (1975) (अनुलिखित)।

एशियाई संस्थान/स्टाफ कालिज के महत्वपूर्ण प्रकाशनों की अद्यतन सूची परिशिष्ट XI पर दी गई है।*

*स्टाफ कालिज के समस्त प्रकाशन निःशुल्क हैं और इनकी सीमित संख्या में प्रतियाँ अनुरोध पर प्राप्य हैं।

परिशिष्ट

LIBRARY & DOCUMENTATION CE...
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No.....D-9355
Date.....5-12-96

परिषद् के सदस्यों की सूची

प्रो० वी० के० आर० वी० राव,
केन्द्रीय शिक्षा और युवा सेवा मंत्री ।
(अध्यक्ष)

डा० डी० एस० कोठारी,
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली ।

श्री जे० एन० अवस्थी,
शिक्षा मंत्री,
मध्य प्रदेश ।

श्री डी०वी० बदोदकर,
शिक्षा मंत्री,
गोवा-दमन दीव ।

श्री पी० वी० नरसिंहराव,
शिक्षा मंत्री,
आंध्र प्रदेश ।

श्री महेन्द्र मोहन चौधरी,
शिक्षा मंत्री,
आसाम ।

श्री वी० के० मलहोत्रा,
मुख्य कार्यकारी पार्षद,
नई दिल्ली ।

श्री टी० पी० सिंह,
सचिव,
शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय,
भारत सरकार ।

श्री एम० आर० यार्दी,
सचिव,
वित्त मंत्रालय (व्यय),
भारत सरकार ।

श्री गोविन्द नारायण,
सचिव,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार ।

श्री ए० मित्रा,
सचिव,
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

श्री एस० वी० सी० ऐय्या,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद् नई दिल्ली ।

श्री एन० डी० जे० राव,
शिक्षा आयुक्त,
बिहार ।

डा० सी० एम० भाटिया,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

श्री वी० आर० मेहता,
शिक्षा सचिव,
गुजरात ।

श्री पी० के० उमाशंकर,
शिक्षा सचिव,
केरल ।

श्री जे० एस० मेहता,
शिक्षा सचिव,
राजस्थान ।

श्री एन० डी० सुन्दरावादीवेलु,
कुलपति,
मद्रास विश्वविद्यालय ।

प्रो० इकबाल नारायण,
अध्यक्ष,
राजनीतिशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

श्री जे० पी० नाइक,
सलाहकार,
शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय,
भारत सरकार ।

श्री आर० डी० साठे,
निदेशक,
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी ।

प्रो० ए० दास गुप्ता,
अध्यक्ष,
व्यवसाय प्रबंधक विभाग,
दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स,
दिल्ली ।

प्रो० एम० वी० माथुर ।
निदेशक,
शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय
स्टाफ़ कालिज, नई दिल्ली ।

(सदस्य-सचिव)

कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

प्रो० वी० के० वार० वी० राव,
केन्द्रीय शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्री ।
(अध्यक्ष)

डा० डी० एस० कोठारी,
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

श्री टी० पी० सिंह,
सचिव,
शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव,
शिक्षा मंत्री,
आंध्र प्रदेश ।

डा० एन० डी० जे० राव,
शिक्षा आयुक्त,
बिहार ।

श्री जे० पी० नाइक,
सलाहकार,
शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय ।

श्री एम० आर० यार्दी,
सचिव,
वित्त मन्त्रालय (व्यय) या उनका नामित व्यक्ति ।

प्रो० एम० वी० माथुर,
निदेशक,
शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ।
(सदस्य-सचिव)

1971-75 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सामान्य

क्षैक्षणिक आयोजनाकारों व प्रबंधकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी के रूप में दिसम्बर 1970 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कार्मिकों के लिए शैक्षणिक आयोजन और प्रबंध में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु उन सुविधाओं को जारी रखना था जो इससे पहले एशियाई शिक्षा योजना और प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदान की जाती थीं। 1973 में एशियाई शिक्षा-योजना और प्रशासन के संस्थान के संचालन के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति सँगठन (यूनेस्को) के बीच 10 वर्ष के करार की समाप्ति पर उस संस्थान का राष्ट्रीय स्टाफ महाविद्यालय के साथ विलय कर दिया गया था और अब वह उसके एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग के रूप में कार्य करता है। भूतपूर्व एशियाई शिक्षा-योजना और प्रशासन संस्थान के पद इसकी परिसम्पत्तियों और देयताओं के साथ 1 मार्च, 1973 से कालिज को अन्तरित कर दिए गए थे।

2. विनियम और उप नियम

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज की अन्तर्नियमावली के नियम 20 (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार परिषद को (उपर्युक्त अन्तर्नियमावली नियम 6 (1) के अधीन स्थापित) से यह अपेक्षा की गई है कि यह कालिज के प्रशासन और प्रबंध संबंधी मामलों और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से विनियम बनाए। परिषद से स्टाफ कालिज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और दैनिक प्रशासन (उसी अन्तर्नियमावली के नियम 21 के अनुसार) को चलाने के लिए उप नियम बनाने की भी अपेक्षा की जाती है। कालिज ने अभी सक कोई उपनियम नहीं बनाए हैं। जून 1973 में तैयार किए गए ड्राफ्ट सेवा विनियमों के मसौदों का परिषद द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है अगस्त (1976)। यद्यपि इनको कालिज के दैनिक कार्यचालन में लागू किया जा रहा है।

3. लेखाओं के फार्म

कालिज की अन्तर्नियमावली के नियम 37 के अनुसार प्राप्ति और अदायगी लेखाओं का फार्म लेखापरीक्षकों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा विहित किया जाता है। लेखाओं का विहित फार्म न होने के कारण कालिज 1974-75 तक विभिन्न वर्षों में विभिन्न फार्मों पर अपूर्ण प्राप्ति और अदायगी लेखा तैयार करता रहा है। भारत सरकार, शिक्षा

और समाज कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 1976 में प्राप्ति और अदायगी लेखा का फार्म निर्धारित किया था। कालिज की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 के अधीन नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक को जून 1976 में सौंपी गयी थी।

4. **प्राप्ति और अदायगी लेखे :**

(क) 1971-72 :

राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1-3-1971 से 31-3-1972 तक की अवधि के लिए वेतन भत्ते इत्यादि के सवितरण के लिए अपेक्षित धन-राशि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् से आहरण की गई थी। महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार आहरण की गई राशि वापस अदा की जानी थी। 1971-72 के दौरान 72,172.30 रु० की राशि परिषद् से प्राप्त की गई थी जो उसी वर्ष वापिस अदा की गई थी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् से आहरण की गई राशियों की प्राप्तियों और अदायगियों दोनो को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था. अन्य लेन-देन जो कि प्राप्ति और अदायगी लेखा में नहीं दिखाए गए थे, में आय-कर (920 रू०) सामान्य भविष्य निधि बसूलियाँ (1,358 रू०), वाहन पेशगी से संबंधित वसूलियाँ (4,380 रू०) और मकान-किराया वसूलियाँ (293 रू०) सम्मिलित थीं।

(ख) 1972-73 :

1971-72 की भांति, आय-कर (408 रू०) सामान्य भविष्य निधि (1,110 रू०) और वाहन-पेशगी (3,670 रु०) से संबंधित लेन-देन लेखाओं में नहीं दर्शाए गए थे।

(ग) 1973-74 :

प्राय: प्राप्तियों और अदायगियों दोनों को संबंधित सकल लेन-देन लेखाओं में दर्शाना पड़ता है। तथापि, यह देखने में आया कि सकल प्राप्तियों और अदायगियों की दर्शाने की बजाए, लेन देनों के केवल निवल प्रभाव (अर्थात अथ शेष+प्रप्तियाँ — अदायगियाँ) लेखाओं में दर्शाए गए थे जिससे लेखाओं की गलत स्थिति प्रस्तुत की गई थी।

संकाय कार्यक्रमों (9,210.24 रू०) स्थापना (6,30,003.39 रू०), मुद्रण और प्रकाशन (8,642.45 रू०) के संबंध में अदायगियाँ मिला दी गयी थीं और इनको लेखाओं में एक मद के रूप में दर्शाया गया था।

सामान्य भविष्य निधि वसूलियाँ (18,921 रू०) जिनको कि बैंक में जमा करवाना चाहिए था, वास्तव में बैंक को प्रेषित नहीं की गई थी, इसकी बजाय ऐसे लेनदेनों का केवल निवल प्रभाव (अर्थात् वसूलियों और पेशगियों का अन्तर) 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत लेखाओं में दिखाया गया था। तथापि कालिज द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान से 500 रू० निकाल करके भारतीय स्टेट बैंक में फरवरी 1974 में सामान्य भविष्य निधि लेखा खोला गया था। यह राशि बाद में कालिज निधि को वापस नहीं की गयी थी।

(घ) 1974-75

1973-74 के लेखाओं में देखी गई अनियमितताएं, अर्थात निवल लेन-देनों का दिखाया जाना, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राशियों के परिकलन में अन्तर, विभिन्न श्रेणियों से सम्बंधित लेन-देनों को एक शीर्ष में शामिल किया जाना आदि; बनी रहीं।

5. परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण

कालिज द्वारा परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण आरम्भ से ही तैयार नहीं किया गया है यद्यपि महाविद्यालय की 1973-74 की निरीक्षण रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था।

ह०

महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक 20 अप्रैल 1977

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने शैक्षणिक आयोजनाकारों व प्रबंधकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लेखाओं की जाँच करली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, अपनी लेखापरीक्षा के परिणाम-स्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और कालिज की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रुप से तैयार किए गए हैं और कालिज के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह०

नदे दिल्ली
दिनांक 20 अप्रैल, 1977

महालेखाकार
केन्द्रीय राजस्व

टिप्पणी :- 1970-71 में कोई लेन देन नहीं हुआ और भूतपूर्व एशियाई संस्थान की परिसम्पत्तियाँ और देयताएं विधिवत अधिकार में ले ली गई थी।

31-3-1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्राप्ति और अदायगी का लेखा

प्राप्तियां			अदायगी	
		रु०		रु०
1. प्रारम्भिक बकाया राशि		—	1. स्टाफ का वेतन और भत्ते	44,887.25
2. भारत सरकार से अनुदान		1,30,000.00	2. समिति की बैठकों और स्टाफ के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ते	7,318.91
3. अन्य प्राप्तियां के० स० स्वा० यो०		96.00	3. प्रकाशन	5,827.43
			4. अन्य खर्च	3,388.32
			5. छुट्टी के वेतन और उपदान के अंशदान	1,760.00
	योग	कुल 1,30,096.00		कुल 63,181.91
			अंत शेष बैंक में नकद,	66,914.09
				1,30,096.00

प्रमाणित किया जाता है कि जिस काम के लिए अनुदान प्राप्त हुआ था उसी के लिए प्रयोग किया गया है।

ह०
(एन० रामाचन्द्रन)
रजिस्ट्रार
शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली

ह०
(एम० वी० माथुर)
निदेशक
शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली

1972-73 का प्राप्ति और अदायगी का लेखा

प्राप्ति		अदायगी	
	रु०		रु०
प्रारम्भिक बकाया राशि (1-4-1972 को)	66,914.09	1. स्टाफ का वेतन और भत्ते	29,126.45
		2. स्टाफ और बैठकों के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता	103.20.10
भारत सरकार से सहायक अनुदान	1,00,000.00*	3. मुद्रण और प्रकाशन	29,160.44
	1,00,000.00	4. अन्य खर्च	3,541.98
के० स० स्वा० यो० के लेखा से प्राप्ति	96.00	5. अनुसंधान परियोजना के लिए सहायक अनुदान	13,228.00
		6, अतिथ्य खर्च	212.25
युनेस्को से प्रप्तियाँ	34,657.20	7, छुट्टी और उपदान अंशदान	2,309.25
		8, अग्रदाय धन	500.00
		9. अन्य पेशगियाँ	30.24
			88,428.71
	2,016,67.29		1,00,000.00*
	1,000,00.00*		1,13,238.58
		31-3-1973 को अंतशेष	2,01,667,29
			1,00,000.00*

*शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने मार्च में 1,000,00.00 सहायक अनुदान संस्वीकृत किया परन्तु रौकड़ खाते में अप्रैल, 1973 में लिया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि जिस कार्य के लिए अनुदान स्वीकृत किया था उसी के लिए प्रयोग किया गया है।

ह०
(एन० रामाचन्द्रन)
रजिस्ट्रार
शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
नई दिल्ली-110016

ह०
(एम० वी०माथुर)
निदेशक
शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
नई दिल्ली-110016

1-4-1973 से 31-3-1974 तक की अवधि का प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति		अदायगी	
	रु०		रु०
1. प्रारम्भिक बकाया राशि	78,581.38	1. संकाय कार्यक्रम प्रकाशन और स्थापना	6,47,856.08
2. सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान	6,00,000.00	2. पुस्तकालय	25,554.36
3. यूनेस्को से प्राप्तियाँ	7,948.61	3. सस्पेन्स	12,417.00
4. सर्वेक्षण	22,012.84	4. अन्तशेष*	22,715.39
	7,08,542.83		7,08,542.83

*राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तदर्थ परियोजना के लिए मुख्य रूप से हमें दिये गए कोष।

प्रमाणित किया जाता हैं कि जिस कार्य के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये थे उसी के लिए उन्हें प्रयोग किया गया।

ह०
(एन० रामाचन्द्रन)
रजिस्ट्रार
शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली।

ह०
(एम० वी० माथुर)
निदेशक
शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली।

1-4-1974 से 31-3-1975 तक की अवधि का प्राप्ति और अदायगी लेखा

प्राप्ति		अदायगी	
	रू०		रू०
प्रारम्भिक बकाया राशि	22,715.39	संकाय कार्यक्रम प्रकाशन और स्थापना	5,07,275.22
सहायक अनुदान	5,90,000.00	पुस्तकालय	31,036.53
सर्वेक्षण	1,29,643.39	यूनेस्को	639.65
छात्रावास	12,057.00	अंतशेष	2,20,169.38
भविष्य निधि कोष	4,705.00		
	7,59,120.78		7,59,120.78

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त अनुदान उसी कार्य के लिए प्रयोग किया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।

ह०
(एन० रामाचन्द्रन)
रजिस्ट्रार
शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली।

ह०
(एम० वी० माथुर)
निदेशक
शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का
राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली।

1971-75 वर्षों की अवधि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज द्वारा उत्तर

पैरा 1 सामान्य — कोई टिप्पणी नहीं।

पैरा 2 विनियम और उपनियम

परिषद् ने कालेज के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियमों का मसौदा पहले से ही बना लिया है। इन विनियमों का मसौदा शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अर्द्धसरकारी पत्र संख्या मि० 4-1-74 आई एन सी, तारीख 28 मई, 1975 द्वारा अनुमोदित कर दिया था।

सेवा विनियमों के मसौदे को औपचारिक रूप से अपनाने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि इन विनियमों के मसौदे को एक बार पुनः देख लिया जाये। इन विनियमों को यथाशीघ्र अपनाने हेतु इनको अंतिम रूप देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

स्टाफ कालेज ने अपने कार्य संचालन में उपनियमों के अभाव में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव नहीं की है। जैसे ही और ज्यों ही उपनियमों को बनाने की आवश्यकता होगी, इस संबंध में यथासमय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पैरा 3 लेखों का रूप — कोई टिप्पणी नहीं।

पैरा 4 आय और भुगतान लेखे (अ) 1971-72 (आ) 1972-73 (इ) 1973-74 और (ई) 1974-75

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रीय स्टाफ कॉलिज के लेखों को नया रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है और भूतपूर्व एशियाई संस्थान जो कि सरकारी कार्यालय था, उसके बहुत से स्टाफ के सदस्य स्टाफ कॉलेज में ले लिए गए थे। जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्टाफ कालिज को स्थानांतरित किए गए थे उनके भविष्य निधि लेखे महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के पास थे और उनका स्थानांतरण राष्ट्रीय स्टाफ कालिज को नहीं किया गया था। स्टाफ के इन सदस्यों के भविष्य निधि संचय लेखों के स्थानांतरित होने से पहले बहुत-से सदस्यों ने अपने भविष्य निधि लेखों से अग्रिम राशि के लिये कालेज से अनुरोध किया था। स्टाफ कालिज इन अनुरोधों को पूरा करने के लिये अपने निजि कोष की धनराशि का उपयोग करने के लिये बाध्य हो गया था। उस समय तक जब तक कि भूतपूर्व एशियाई संस्थान से आए स्टाफ के सदस्यों के व्यक्तिगत भविष्य निधि लेखे नहीं खोले गये थे, राष्ट्रीय स्टाफ कालिज ने उनको

दी गई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम राशि की वसूलियों को 'उचंत' लेखे में रखा था। राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के स्टाफ का भविष्य निधि लेखा बैंक में खोलने के लिए पांच सौ रुपये की राशि का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये किया गया था। यह राशि स्टाफ कालिज के भविष्य निधि लेखे से स्टाफ कालिज की अनुदान सहायता से संबंधित सामान्य लेखे में स्थानांतरित कर दी गई है।

इस संबंध में यहां यह स्पष्ट करना है कि लेखा परीक्षा की आवश्यकताओं और उसके द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान में रखकर लेखों को नया रूप देकर ठीक किया जा रहा है।

पैरा 5 परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण

परिसंपत्तियों और देयताओं का एक विवरण तैयार किया जा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि राष्ट्रीय स्टाफ कालिज द्वारा पहले से ही परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर रखा जा रहा है।

परिशिष्ट V (अ)

संकाय के सदस्य
(31-3-1971 के समय)

निदेशक*	—	प्रो० एम० वी० माथुर
विशेषज्ञ	—	प्रो० बी० मिश्र
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	—	श्री एम० अबू बकर
अनुसंधान अधिकारी	—	डा० के० जे० जोसफ
अनुसंधान अधिकारी	—	श्री एस० एस० दूदानी

परिशिष्ट V (आ)

संकाय के सदस्य
(31-3-1972 के समय)

निदेशक*	—	प्रो० एम० वी० माथुर
अनुसंधान अधिकारी	—	डा० के० जे० जोसफ
अनुसंधान अधिकारी	—	श्री एस० एस० दूदानी

---

* प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान ने शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज का काम भी देखा।

संकाय के सदस्य
(31-3-1973 के समय)

निदेशक	...	प्रो० एम० वी० माथुर
अध्यक्ष, एशियाई कार्यक्रम प्रभाग	...	श्री वेदप्रकाश
अर्थशास्त्री	...	श्री सी० बी० पद्मनाभन
अनुसंधान अधिकारी	...	डा० के० जे० जोसफ
अनुसंधान अधिकारी	...	श्री एस० एस० दूदानी

परिशिष्ट V (ई)

संकाय के सदस्य
(31-3-1974 के समय)

निदेशक	...	प्रो० एम० वी० माथुर
अध्यक्ष, एशियाई कार्यक्रम प्रभाग	...	श्री वेद प्रकाश
अर्थशास्त्री	...	श्री सी०बी० पद्मनाभन
अनुसंधान अधिकारी	...	डा० के० जे० जोसफ
अनुसंधान अधिकारी	...	श्री एस० एस० दूदानी

शिक्षा प्रशासन का सर्वेक्षण

विशेष कार्य-अधिकारी	...	डा० पी०डी० शुक्ल

संकाय के सदस्य
(31-3-1975 के समय)

कार्यकारी निदेशक	...	श्री वेद प्रकाश
अर्थशास्त्री	...	श्री सी० बी० पद्मनाभन
अनुसंधान अधिकारी	...	श्री ए० एच० हेमराजानी
अनुसंधान अधिकारी	...	श्री एस०एस० दूदानी

शिक्षा प्रशासन का सर्वेक्षण

विशेष कार्य-अधिकारी	...	डा० पी० डी० शुक्ल

स्टाफ में परिवर्तन
(1-3-1970 से 31-3-1975 तक)

1-3-1973 से प्रो० एम०वी० माथुर ने पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 16-4-74 को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में महानिदेशक का पद संभालने के पश्चात इस पद को छोड़ दिया।

श्री वेद प्रकाश, अध्यक्ष, एशियाई प्रभाग ने 16-4-1974 को कार्यकारी निदेशक का कार्य-भार संभाला।*

प्रो० बी० मिश्र, विशेषज्ञ, 30-6-1971 को उड़ीसा सरकार में प्रत्यावर्तित हो गए।**

श्री अबू बकर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, 31-3-1971 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में प्रत्यावर्तित हो गए।**

श्री सी० पी० तिवारी, अनुसंधान अधिकारी, 10-3-1971 को शिक्षा मंत्रालय में प्रत्यावर्तित हो गए।**

डा० के० जे० जोसफ, अनुसंधान अधिकारी ने 16-1-75 को कालिज छोड़ दिया।**

डा० पी० डी० शुक्ल, भूतपूर्व संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय और अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1-1-1974 को विशेष कार्य अधिकारी (शिक्षा प्रशासन सर्वेक्षण) का कार्य-भार संभाला।

श्री ए० एच० हेमराजानी, भूतपूर्व निदेशक, शिक्षा प्रभाग, योजना आयोग ने 5-3-1975 को अनुसंधान अधिकारी का कार्यभार संभाला।

---

* एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान के 1-3-1973 से स्टाफ कालिज में विलय के पश्चात ले लिए गए।

** एशियाई शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान के भारतीय कार्यक्रम से 1-3-1971 को लिए गए।

शिक्षा योजना और प्रशासन पर तमिलनाडु राज्य सेमिनार में भाग लेने वालों की सूची

(कोयम्बतूर : 25 मई से 29 मई, 1971 तक)

1. श्री एस०वी० चित्तिबाबू,
निदेशक, स्कूल शिक्षा,
मद्रास-6

2. श्री जे० ए० रयान,
उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक)
मद्रास-6

3. श्री आर० पेरूमल,
संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा (वित्त), मद्रास-6

4. श्री के० मोहनारंगम,
संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा (कार्मिक), मद्रास-6

5. श्रीमती आर० कांतिमति,
निदेशक,
शिक्षा राज्य संस्थान, मद्रास-34

6. श्री आर० थीरूगनासम्बंधम,
उपनिदेशक,
स्कूल शिक्षा (योजना), मद्रास-6

7. श्री ए०आर० खान,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
मद्रास और चिंगलपुट ।

8. श्री ए० जेकब जस्टस,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
दक्षिण आर्काट ।

9. श्रीमती सी० विशालक्षी,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
तेजाबूर ।

10. श्री एस० पैरिम्बामुन्थु,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
मदुरै ।

11. श्री डी० धर्मराजन,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
रामनाथपुरम् ।

12. श्री के० कंडास्वामी,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
तिरुनावेल्ली ।

13. श्री टी० अट्यापेरुमल पिल्लई,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
वेल्लूर ।

14. श्री के० गोपालन,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
सलेम ।

15. श्री एम० सम्बाशिवम्
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
कोयम्बतूर ।

16. श्री जे० सेमुअल अदिक,
विशेष अधिकारी, स्कूल भोजन,
मद्रास ।

17. श्री एम०आर० चंद्रशेखरन,
विशेष अधिकारी, पुस्तकालय,
मद्रास-6

18. श्री के०एस० श्रीनिवासन,
सहायक सचिव,
पाठ्य-विवरण पुनरीक्षण,
मद्रास ।

19. श्री जे० गोपाल कृष्णन,
विशेष अधिकारी, विज्ञान,
मद्रास-6

20. श्री के०आर० मणिक्कम,
प्रधानाचार्य,
शिक्षा कालेज, सेवापेठ ।

21. कु० के० जैगाथम्बल,
प्रधानाचार्या,
महिला राजकीय प्रशिक्षण कालेज,
कोयम्बत्तूर ।

22. श्री के० नारायण रेड्डी,
प्रधानाचार्य,
शिक्षकों का त्यागराज कालिज,
मदुरै ।

23. श्री कुलांडाइवेलू,
प्रधानाचार्य,
आर०के०एम० विद्यालय,
प्रशिक्षण कालिज,
पेरिनायकन पलायम ।

24. श्री जी० महादेवन,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
तिरुचिलापल्ली ।

25. कु० एस० जानकी,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
कांचीपुरम ।

26. श्री टी० कृष्णमूर्ति,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
उसीलम पट्टी ।

27. कु० पी० अनंतावल्ली,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
करुर ।

28. श्रीमती एन०ई० कमला,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
तिरुवेल्लोर ।

29. श्री वी०वी० रंगनाथन,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
अरियालूर ।

30. श्री वी० सीरंधिया पिल्ले,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
मदुरै ।

31. श्रीमती सी० सरोजनी,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
मद्रास उत्तर ।

32. कु० एस० वी० सरोजा,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
चिंगलपुट ।

33. श्री एस० राजन,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
देवाकोटई ।

34. कु० ए० मीनाक्षी,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
कोयलपट्टी ।

35. श्री एम० संबंदन,
ज़िला शिक्षा अधिकारी,
संकारीद्रग ।

36. कु० ए० पेन्नामल,
जिला शिक्षा अधिकारी,
कोयम्बतूर ।

37. श्री एम० बेंकटारमन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
तनजावूर ।

38. श्री एल० रामाचंद्रन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
पुडूकोटई ।

39. श्री एस० सदाशिवम्,
जिला शिक्षा अधिकारी,
तुतिकोरीन ।

40. श्री एच०आर० जुनसिदी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
सेदापेट ।

41. श्री जी० श्रीनिवास,
जिला शिक्षा अधिकारी,
नगरकायल ।

42. श्रीमती एम० शिवाकमसुंदरी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
विल्लुपुर ।

43. श्री आर०एस० रामचंद्रन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
पोल्लाची ।

44. श्रीमती आर० मनोमणी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
रामानाथापुरम सेंट्रल,
मदुरै ।

45. श्रीमती एस० सरस्वती,
जिला शिक्षा अधिकारी,
तिरुपत्तूर ।

46. कु० एम० पर्वथावर्धिनी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
वेल्लोर ।

47. श्री ए० मूथूकृष्णन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
कुड्डालोर ।

48. कु० पी० रथिनस्वामी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
डिंडीगुल ।

49. श्री आर० कंहिया,
जिला शिक्षा अधिकारी,
चैयार ।

50. श्रीमती के० हेनरी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
कुड्डालोर ।

51. श्री एस० जोसेफ जार्ज,
जिला शिक्षा अधिकारी,
कुन्नूर ।

52. श्री टी० पी० जीवन्नाराव,
जिला शिक्षा अधिकारी,
विल्लुपुरम ।

53. श्रीमती गिरिजा स्वामीनाथन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
तिरुनलवेल्ली सेंट्रल ।

54. श्री एस० रामन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
सालेम ।

55. श्री एम० वी० गोविंदन्,
जिला शिक्षा अधिकारी,
मद्रास, दक्षिण ।

56. कु० जी० कप्पागावल्ली,
जिला शिक्षा अधिकारी,
वृधाचलम ।

57. श्री टी० नेल्सन देबादोस,
जिला शिक्षा अधिकारी,
पुडुकोटई ।

58. श्रीमती वी० कांतिमथी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
पेरियाकुलम ।

59. श्री वाई० आर० गुरुस्वामी,
जिला शिक्षा अधिकारी ।

60. श्री जे० एस० धनसिंह डेविड,
जिला शिक्षा अधिकारी,
एरोड ।

61. श्री वाई० एम० कंडास्वामी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
धर्मपुरी ।

62. श्री एस० नटराजन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
विरुथूनगर ।

63. श्री आर० श्रीनिवासागोपालन,
जिला शिक्षा अधिकारी,
टुकाले ।

64. श्रीमती एस०एन० कमला,
जिला शिक्षा अधिकारी,
नागापट्टिनम ।

65. श्रीमती आर० कोकिला,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल,
मद्रास ।

66. श्रीमती कौशल्या गोविंदाराजन,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल, मदुरै ।

67. श्रीमती ए० कदिरेशन,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल,
तिरुनेलवेल्ली ।

68. श्रीमती के० राजामल्ल,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल, मदुरै ।

69. श्रीमती के० जै० बर्नाबस,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल,
कोयम्बत्तूर ।

70. श्रीमती इनायाथुन्निसा,
निरीक्षिका, कन्या स्कूल,
चिंगलपुट ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्या की संगोष्ठी में भाग लेने वालों की सूची

(नई दिल्ली : जून 21-26, 1971)

I. प्रधानाचार्य

1. श्री ए० सी० अग्निहोत्री,
   एस० वी० मिल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
   नजफगढ़ रोड,
   दिल्ली ।

2. श्री जे० एल० आनंद,
   द राजपूताना राइफल्स हीरोज़ मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली छावनी,
   दिल्ली ।

3. कु० के० अन्सल,
   हैपी स्कूल, दरियागंज,
   दिल्ली ।

4. श्री पी० डी० भाटिया,
   रूपनगर पब्लिक स्कूल,
   6/22, रूप नगर,
   दिल्ली ।

5. डा० बी० एल० चतुर्वेदी,
   केन्द्रीय विद्यालय,
   मथुरा ।

6. डा० एस० चतुर्वेदी,
   हिन्दी हाई स्कूल,
   16/1, मोर्रा स्ट्रीट,
   कलकत्ता ।

7. श्रीमती उषा चोपड़ा,
   न्यू एरा पब्लिक स्कूल,
   राजौरी गार्डेन,
   नई दिल्ली ।

8. श्री रघुबीर दयाल,
   केम्ब्रिज स्कूल,
   श्रीनिवासपुरी,
   रिंग रोड, नई दिल्ली ।

9. श्री जे०एस० ढिल्लों,
   गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल,
   पुराना किला रोड,
   नई दिल्ली ।

10. श्री के० डी० द्विवेदी,
    केन्द्रीय विद्यालय,
    दिल्ली छावनी,
    दिल्ली–10

11. श्रीमती डी० घोष,
    समर फील्ड्स स्कूल,
    कैलाश कालोनी,
    नई दिल्ली ।

12. श्रीमती राधा गुप्ता,
    जय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
    धरमपुरा,
    दिल्ली-6

13. श्री एस० एल० गुप्त,
वायु सेना उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय, पालम,
दिल्ली छावनी।

14. सिस्टर एम० इनौसैंस,
होली चाइल्ड उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय, टैगौर गार्डन,
नई दिल्ली।

15. श्री एस० टी० आयंगर,
आर० बी० रामरूप विद्या मंदिर
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
भारत नगर,
दिल्ली।

16. श्री जे० डी० जैन,
जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
दरियागंज,
दिल्ली-6

17. कुमारी के० एम० जैन,
लक्ष्मी देवी उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय, पहाड़ी धीरज,
दिल्ली-6

18. श्री एन० के० जैन,
केन्द्रीय विद्यालय, नं० 2,
आगरा छावनी।

19. श्री एच० एल० खोसला,
केन्द्रीय विद्यालय,
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली।

20. श्री पी० के० मदन,
द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल,
श्री अरबिन्दो आश्रम,
नई दिल्ली।

21. माननीय फादर [illegible]पिल्ली एस०जे०
सैंट जेवियर स्कूल,
जयपुर।

22. श्री आर० एम० माथुर,
बाल भारती पब्लिक स्कूल,
पूर्वी मार्ग,
नई दिल्ली।

23. श्रीमती के० आर० मित्रा,
केन्द्रीय विद्यालय,
गोल मार्केट,
नई दिल्ली।

24. श्री आर० एम० नायक,
सरदार पटेल विद्यालय,
लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली।

25. माननीय फादर जार्ज पंकल,
रौज़री स्कूल,
किंग्सवे कैंप,
रेडियो कालोनी, दिल्ली।

26. श्री बी० आर० पसरीचा,
लारेंस स्कूल,
सनावर (शिमला हिल्स)

27. श्री कैलाश नाथ राय,
रेलवे मिक्सड (अंग्रेजी माध्यम)
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बिलासपुर।

28. श्रीमती आर० सिंह,
केन्द्रीय विद्यालय,
फिरोजपुर छावनी।

29. श्री एम० आर० सुब्रमण्यम,
एच० वी० एफ०,
अवादी,
मद्रास ।

30. श्री ओ० पी० तनेजा,
केन्द्रीय विद्यालय टैगौर गार्डन,
नई दिल्ली ।

31. श्री एस० के० वघेरा,
जे० डी० टाइटलर स्कूल,
ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग,
नई दिल्ली ।

II राज्य शिक्षा संस्थान

1. डा० (कु०) ए० नंदा,
प्रधानाचार्य,
राज्य शिक्षा संस्थान,
कश्मीरी गेट, दिल्ली ।

III शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

1. श्री टी० आर० जयरामन,
संयुक्त सचिव ।

2. श्री जे० पी० नाइक,
सलाहकार ।

महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी में भाग लेने वालों की सूची

(नई दिल्ली : 26 जून, 1972 से 1 जुलाई, 1972 तक)

1. श्री विजय गोविंदराव पाटिल ।
2. श्री सुधीर पुरुषोत्तम परांजपे ।
3. श्री बालीराम अंतु मोरे ।
4. श्री एस० वी० पेटकर ।
5. श्री राघवेन्द्र गंगाधर पाटिल ।
6. श्री वसंत सीताराम पाटिल ।
7. श्री वीरसिंह बाबू वाणी ।
8. श्री निरंजन रतनलाल कलमकर ।
9. श्री एस० एस० सालगांवकर ।
10. श्री सीताराम आनंदराव द्योकर ।
11. श्री गुलाब तुलसीराम जी देशमुख ।
12. श्री के० डी० मनकर ।
13. श्री राजन जे० बेकी ।
14. श्री डी० वाई० शृंगीवर ।
15. श्री डब्ल्यू० एन० डांडेकर, उपनिदेशक,
    राजकीय शिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र राज्य, पूना ।

हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची

(नई दिल्ली : 21 जनवरी से 3 फरवरी, 1975)

1. कु० शांता राज़दान,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   अम्बाला ।

2. डा० एस०एन० बत्रा,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   कुरुक्षेत्र ।

3. श्री इन्दरजीत सिंह,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   करनाल ।

4. श्री एम० पी० जैन
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   सोनीपत ।

5. श्री एस०एल० कश्यप,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   रोहतक ।

6. श्रीमती पी० कपूर,
   उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
   जगाधरी ।

7. श्री बलायती राम गोयल,
   उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
   कुरुक्षेत्र ।

8. श्री पी० एस० मिश्रा,
   उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
   करनाल ।

9. श्री पी० सी० मेहता,
   उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
   गोहाना ।

10. श्री सूरज लाल,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    झज्जर ।

11. श्री ज्ञानस्वरूप शर्मा,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    हन्सी ।

12. श्री ओ०पी० सेठ,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    लौहारू ।

13. श्री धान सिंह,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    नरवाना ।

14. श्री अमीर सिंह,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    रिवाड़ी ।

15. श्री सोहन लाल भसीन,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    नूह ।

16. श्री कंवर राजेन्द्र सिंह,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    भिवानी ।

17. श्री धरम वीर कपूर,
उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
नारायनगढ़ ।

18. श्रीमती पी० चड्ढा,
उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
पलवल ।

19. श्री सोहन लाल शर्मा,
उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
मोहिंदरगढ़ ।

20. कु० प्रकाश देवी,
उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
जींद ।

21. श्रीमती पी० जौली,
उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
गुड़गांव ।

22. श्री चंदर भान,
सहायक निदेशक, सार्वजनिक शिक्षा
(शिक्षक स्थापना)
चंडीगढ़ ।

23. श्री एस०एस० कौशल,
सहायक निदेशक, सार्वजनिक शिक्षा,,
(सामाजिक शिक्षा)
चंडीगढ़ ।

हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची
(नई दिल्ली : 12 फरवरी से 24 फरवरी, 1975)

1. श्री आई० सी० वाधवन,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   गुड़गांव ।

2. श्री आर० एन० सरीन,
   ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   जींद ।

3. श्री ओ० पी० बत्रा,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   अम्बाला ।

4. श्रीमती उमा चोपड़ा,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   कुरुक्षेत्र ।

5. श्रीमती सतवंत कौर,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   सौनीपत ।

6. श्रीमती शरनजीत कौर,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   करनाल ।

7. कु० सरला शर्मा,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   रोहतक ।

8. कु० कमला भंडारी,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   भिवानी ।

9. श्रीमती रामकुमारी जोशी,
   उप ज़िला शिक्षा अधिकारी,
   हिसार ।

10. श्रीमती जानकी बाई,
    उप मंडलील शिक्षा अधिकारी,
    पानीपत ।

11. श्री वी०एस० पस्सी,
    उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    रोहतक ।

12. श्री जगवीर सिंह,
    उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    सोनीपत ।

13. श्री हृदय राम मलिक,
    उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    जींद ।

14. श्री आर० सी० अंगोरा,
    उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी,
    गुड़गांव ।

15. श्री बी०एन० दीवान,
    सहायक राज्य निर्माण निदेशक,
    हरियाणा, चंडीगढ़ ।

जनसंख्या गतिकी और शिक्षा पर विशेषज्ञों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची

(नई दिल्ली : 28 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 1974)

1. प्रोफ़ेसर रईस अहमद,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
17-बी, श्री अरबिंदो मार्ग,
नई दिल्ली ।

2. डा० एन० ए० अंसारी,
संयुक्त निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
हौज खास, नई दिल्ली-16

3. डा० जी० एल० बक्शी,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-1

4. कु० जतीन्दर भाटिया,
जनांकिकी अनुसंधान केन्द्र,
आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-7

5. श्रीमती के० एस० भाटिया,
उपनिदेशक,
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो,
कोटला रोड, नई दिल्ली ।

6. डा० अशीष बोस,
जनांकिकी अनुसंधान केन्द्र,
आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-7

7. श्री रमेश चन्दर,
प्रवक्ता,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-16

8. कु० आत्रेयी चटर्जी,
दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स,
डी-10, हौज खास, नई दिल्ली-16

9. श्री ए० डैलियन,
यूनेस्को सलाहकार,
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

10. श्री एम०वी० देसाई,
निदेशक,
जनसंपर्क संस्थान,
डी-13, साउथ एक्सटेंशन भाग-2,
नई दिल्ली-49

11. डा० (कु०) सुनीति दत्त,
प्रधानाचार्य,
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान,
33, छात्र मार्ग, दिल्ली-7

12. डा० (कु०) शांति घोष,
अध्यक्ष, बाल चिकित्सा विभाग,
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

13. डा० अशोक खोसला,
वरिष्ठ विशेषज्ञ,
राष्ट्रीय समिति, पर्यावरण योजना और समन्वय,
विज्ञान और टेक्नालोजी विभाग,
नई दिल्ली-29

14. प्रोफेसर एम० वी० माथुर,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान,
पारीसिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-1

15. प्रोफेसर तपस मजूमदार,
अध्यक्ष,
डा० जाकिर हुसेन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली।

16. श्री अशोक मित्रा,
राष्ट्रपति के सचिव,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

17. डा० शिब के० मित्रा,
संयुक्त निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-16

18. श्रीमती विजय मुले,
विशेष कार्य अधिकारी,
प्रभारी, शिक्षा टेक्नालोजी केन्द्र,
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16

19. डा०जे० पी० नाइक,
सदस्य-सचिव,
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्,
आई०आई०पी०ए० होस्टल भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-1

20. डा० (कु०) ए० नंदा,
प्रधानाचार्य,
राज्य शिक्षा संस्थान,
रूप नगर, दिल्ली-7

21. श्री के० एस० नटराजन,
अनुसंधान अधिकारी,
भारत का महापंजीकार कार्यालय,
(जनगणना),
मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

22. डा० डी० पी० नायर,
सलाहकार (शिक्षा),
योजना आयोग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

23. श्रीमती ए० पंडित,
कार्यक्रम अधिकारी,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय,
परिवार नियोजन विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

24. प्रोफेसर बी०एस० पारख,
प्रोफेसर, समाज विज्ञान,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

25. डा० एम०के० प्रेमी,
सह प्रोफेसर,
क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र,
(समाज विज्ञान स्कूल)
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-57

26. श्रीमती कृष्णा पुरी,
अध्यक्ष,
नई दिल्ली परिवार नियोजन संघ,
3, हनुमान रोड, नई दिल्ली-1

27. डा० गोपाल राव,
रीडर,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
17-बी, श्री अरबिन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-16

28. डा० (श्रीमती) के०जी० राव,
प्रोफेसर, समाज विज्ञान,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्थान,
आर-75, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

29. डा० वी० आर० राव,
निदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।

30. प्रोफेसर पी०के० राय,
डीन (शैक्षिक)
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
17-बी, श्री अरबिन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-16

31. डा० सलामातुल्ला,
प्रधानाचार्य,
शिक्षक कालिज,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर,
नई दिल्ली-25

32. डा० आर० सी० शर्मा,
सहायक आयुक्त,
के०वी०एस० क्षेत्रीय कार्यालय,
फरीदाबाद।

33. श्री के० एन० श्रीनिवासन,
उपनिदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।

34. डा० आर० पी० सिंहल,
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-1

35. श्री जे० वीराराघवन,
संयुक्त सचिव (योजना),
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली।

36. डा० डी० जी० बसटेचर,
क्षेत्रीय सलाहकार, जनसंख्या गतिकी और योजना,
एशिया में शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय,
बैंकाक।

37. डा० एच० के० पाइक,
यूनेस्को विशेषज्ञ,
(शिक्षक प्रशिक्षण, जनसंख्या शिक्षा)
एशिया में शिक्षा का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय,
बैंकाक।

जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दल के सदस्यों की सूची

1. प्रो० एम० वी० माथुर,
   निदेशक,
   शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का
   राष्ट्रीय स्टाफ कालिज,
   नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. श्री जे०पी० नाइक,
   सलाहकार,
   शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
   नई दिल्ली।

3. श्री टी०एन० चतुर्वेदी,
   मुख्य सचिव,
   दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

4. प्रो० गिरिजापति मुखर्जी,
   निदेशक,
   भारतीय जन प्रशासन संस्था,
   नई दिल्ली।

5. डा०जी० आर० दालवी,
   कार्यकारी निदेशक,
   राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद,
   38 गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली।

6. डा० एम० वी० बुच,
   अध्यक्ष,
   शिक्षा का उच्च अध्ययन केन्द्र,
   एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय,
   बड़ौदा।

7. श्री ए०पी सक्सेना,
   उपनिदेशक (प्रशिक्षण),
   कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडलीय
   सचिवालय, नई दिल्ली।

8. श्री डी०पी० नायर,
   वरिष्ठ विशेषज्ञ,
   शिक्षा प्रभाग, योजना आयोग,
   नई दिल्ली।

9. श्री एन०डी०जे० राव,
   शिक्षा आयुक्त, बिहार,
   पटना।

10. श्री के०आर० रामचन्द्रन,
    मंडल आयुक्त, बेलगांव डिवीजन,
    बेलगांव। (मैसूर)

11. श्री एम०वी० राजगोपाल,
    शिक्षा सलाहकार और (पदेन)
    सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार,
    हैदराबाद।

12. डा० सी० एम० भाटिया,
    कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
    इलाहाबाद।

13 श्री जी० सी० सहसराबुधे,
   शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र,
   पूना।

14. श्री एस०वी० चित्तिबाबू,
    स्कूल शिक्षा निदेशक,
    तमिलनाडु, मद्रास।

15. डॉ० एस०एन० मेहरोत्रा,
अध्ययन समन्वयक,
एशियाई शिक्षा योजना और
प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली।

(सदस्य-सचिव)

अफ़गानिस्तान से आए शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची

(नई दिल्ली : 11 नवंबर, 1974 से 18 जनवरी, 1975 तक)

1. श्री मोहम्मद आसिफ़,
शिक्षा महानिदेशक,
शिक्षा मंत्रालय, काबुल।

2. श्रीमती बी० हबीबा,
प्रधानाचार्य,
महिला माध्यमिक शिक्षा स्कूल,
काबुल।

3. श्री शेर मोहम्मद खावर,
प्रधानाचार्य,
हाई स्कूल, शिक्षा मंत्रालय, काबुल।

4. श्री ज़ी० ज़ेलानी नाबियार,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, काबुल।

5. श्री सरदार मोहम्मद नियाज़ी,
शिक्षा सहायक निदेशक,
शिक्षा मंत्रालय, काबुल।

6. श्री गुलाम हज़रत रोगमन,
प्राविन्शियल जनरल का कार्यालय,
शिक्षा निदेशालय, काबुल।

7. श्री मीर बहादुर वासिफी,
प्रशासनिक सहायक,
बादशाह खां प्रांत निदेशालय,
अफ़गानिस्तान।

एशियाई संस्थान / स्टाफ कालिज के प्रकाशनों की अद्यतन सूची*

एशियाई संस्थान द्वारा प्रकाशित

1. ज़िले में शिक्षा योजना—डा० जे०पी० नाइक (1969)
2. संस्थागत योजना—डा० जे०पी० नाइक (1969)
3. स्कूल सुधार परियोजनायें और जन समर्थन—श्री एन०डी० सुन्दरावाड़ी (1969)
4. ज़िला स्तर पर शिक्षा सुधार के कार्यक्रम जिनमें अधिक वित्त परिव्यय न हो—श्री एम० वी० राजगोपाल (1969)
5. शिक्षा योजना में आधुनिक प्रवृत्तियां—श्री सी०वी० पद्मनाभन (1969)
6. भारत में शिक्षा योजना के प्रशासनिक पक्षों पर कुछेक विचार—श्री वेद प्रकाश (1969)
7. शिक्षा योजना के लिए कार्मिक प्रशिक्षण पर कुछेक टिप्पणियाँ—श्री वेद प्रकाश (1969)
8. ज़िला शिक्षा अधिकारियों के दायित्व, कार्य, भर्ती और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (1970)
9. आजीवन शिक्षा—आजीवन एकीकृत शिक्षा पर विशेषज्ञों की बैठक की रिपोर्ट (1970)
10. एशियाई क्षेत्र में शिक्षा योजना के लिए चुने हुए आँकड़—श्री वेद प्रकाश (1970)
11. शिक्षा योजना को लागू करने के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष—प्रो०एम०वी० माथुर (1970)
12. शिक्षा योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियों की रिपोर्टें :
    —गुजरात
    —मैसूर
    —उड़ीसा
13. 'शिक्षा के लिए संसाधनों का संग्रहण' पर अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट (1971)

---

* ये सब प्रकाशन अंग्रेजी में भी प्रकाशित हैं।

14. शिक्षा प्रशासन में आधुनिक प्रबंधन तकनीक (1971)

15. शिक्षा आंकड़ों पर क्षेत्रीय सेमिनार की रिपोर्ट (1971)

16. *गुरुडल देश योजना अभ्यास (खंड 1 और 2), 1971

17. शिक्षा योजना और प्रबंधन—शिक्षा योजना और प्रबंधन पर उच्च प्रशिक्षण संगोष्ठी की रिपोर्ट (1973)

राष्ट्रीय स्टाफ कालिज द्वारा प्रकाशित

11. जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अध्ययन दल की रिपोर्ट (1972)

22. भारत में शैक्षिक नवीन प्रक्रियाएं—कुछ प्रयोग (1974)

33. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में, भारत में शिक्षा का प्रशासन और वित्तीयन (1974)

44. शिक्षा योजना और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियों की रिपोर्टें—आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल (1972-74)

55. एशियाई संस्थान द्वारा संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन (1962-72) (1974)

LIBRARY & DOCUMENTATION Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC, No D 9355
Date 5.12.96

* एक काल्पनिक देश।